फैक्स/ई-मेल

संख्याः 2391 /छः-पु-8-2018-801(77)/2010टी.सी.-1

प्रेषक,

भगवान स्वरूप,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

विषयः उ0प्र0 अग्निशमन सेवा के उप निदेशक की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस-123-92/II, दिनांक 23.01.2017 द्वारा निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने स्तर से निर्गत की गयी।

2- अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक की समेकित अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या-689/छ-पु0-8-16-801(77)/77, दिनांक 28.03.2016 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी जिसमें सारभूत विंसगतिया पाये जाने के कारण शासन के आदेश दिनांक 09.01.2017 के क्रम में पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस-123-92/II, दिनांक 23.01.2017 द्वारा निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने स्तर से प्रख्यापित की गयी। उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 28.3.2016 व अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 23.01.2017 में कतिपय कमियॉ पाये जाने के कारण उक्त दोनो सूची को निरस्त करते हुये पृथक-पृथक संवर्गवार उप निदेशक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-1667/छ-पु0-8-18-801(77)/2010टी0सी0 दिनांक 11.09.2018 को निर्गत करते हुए आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया था। पुनः कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14.09.2018 द्वारा आपत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 28.09.2018 तक का समय बढाया गया। रिट याचिका संख्या-24724(एस0बी0)/2016, मंगेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-2419(एस0बी0)/2014, विवेक कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2018 के समादर में कार्यालय आदेश संख्या-1926/छः-पु0-8-18-801(77)/2010 टीसी, दिनांक 10.10.2018 द्वारा आपत्तियां दिये जाने हेतु दिनांक 10.10.2018 तक समय बढाया गया।

3. उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984 के स्थान पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली 2016, दिनांक 15.12.2016 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, के नियम-23 में यह उल्लिखित है कि सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

4. प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है:-

पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय अपनी ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा, जो पोषक संवर्ग में थी।

सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में दिखाई गयी हों।

5. तदनुसार उप निदेशक, फायर सर्विस के पद पर कार्यरत अधिकारियों से अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.09.2018 पर प्राप्त आपत्तियों को निम्नवत् निस्तारित किया जाता है:-

क्र0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.09.2018 के संबंध में आपत्तियां	आपत्तियों का निस्तारण
1.	अमन शर्मा	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
2.	अजय कुमार गुप्ता,	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
3.	पी0पी0 अवस्थी,	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
4.	रवीन्द्र कुमार पाण्डेय,	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
5.	योगेश बाबू द्विवेद्वी,	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
6.	जाकिर हुसैन,	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
7.	राम सनेही विश्वकर्मा	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
8.	एस0के0 सिंह कुशवाहा	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
9.	हरवीर सिंह मलिक	श्री हरवीर सिंह मलिक, उपनिदेशक फायर सर्विस कानपुर परिक्षेत्र द्वारा निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गयी हैं। 1- उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की जन्मतिथि 07.01.1969 अंकित है, जबकि वास्तविक जन्मतिथि 01.07.1959 है। 2- उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कालम 06 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि 28.04.2012 अंकित है, जबकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की वास्तविक तिथि 18.01.2010 है।	श्री हरवीर सिंह मलिक द्वारा जन्मतिथि सम्बन्धी उठायी गयी आपत्ति का निराकरण अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते समय 07.01.1969 के स्थान पर 01.07.1959 कर दिया गया है। उनके द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की वास्तविक तिथि 18.01.2010 अंकित किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु अग्निशमन मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार पदोन्नति की वास्तविक तिथि 19.01.2010 है। तद्नुसार उक्त तिथि अभिलेखों के अनुसार संशोधित कर दी गयी।

6. तद्नुसार उप निदेशक, फायर सर्विस की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.09.2018 के विरूद्ध प्राप्त उपरोक्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुए उप निदेशक की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण करते हुए अन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:-

क्रम	अधिकारी का नाम (सर्वश्री) गृह जनपद	भर्ती का स्रोत (सीधी भर्ती/ प्रोन्नत संवर्ग)	जन्मतिथि	भर्ती/नियुक्ति की तिथि	मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत की तिथि	उप निदेशक, तकनीकी / सेनानायक के पद पर प्रोन्नत की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	अमन शर्मा,, सोनीपत, हरियाणा	सीधी भर्ती	11.04.1965	17.03.1993	-	13.09.2012
2	अजय कुमार गुप्ता, नई दिल्ली	सीधी भर्ती	22.12.1967	08.11.2000	-	13.09.2012
3	पी0पी0 अवस्थी, उन्नाव (से0नि0-30.11.2017)	प्रोन्नत संवर्ग	15.11.1957	01.12.1982	18.01.2010	28.10.2014
4	रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, आगरा	प्रोन्नत संवर्ग	23.09.1959	01.12.1982	19.01.2010	28.10.2014
5	योगेश बाबू द्विवेद्वी, आगरा (से0नि0-30.04.2018)	प्रोन्नत संवर्ग	10.04.1958	01.12.1982	19.01.2010	27.10.2014
6	जाकिर हुसैन, कौशाम्बी (से0नि0-30.05.2016)	प्रोन्नत संवर्ग	10.05.1956	01.12.1982	19.01.2010	27.10.2014
7	राम सनेही विश्वकर्मा, कानपुर देहात(से0नि0-30.09.2016)	प्रोन्नत संवर्ग	07.09.1956	01.12.1982	19.01.2010	28.10.2014
8	एस0के0 सिंह कुशवाहा, जालौन (से0नि0-31.10.2016)	प्रोन्नत संवर्ग	27.10.1956	01.12.1982	19.01.2010	27.10.2014
9	हरबीर सिंह मलिक, मुजफ्फरनगर	प्रोन्नत संवर्ग	01.07.1959	01.12.1982	19.01.2010	27.10.2014

7. अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक की समेकित अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या-689/छ-पु0-8-16- 801(77)/77, दिनांक 28.03.2016 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी, जिसमें सारभूत विसंगतियां पाये जाने के कारण, उक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2016 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए उपरोक्तानुसार उप निदेशक, अग्निशमन सेवा उ0प्र0 की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण करते हुए अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जाती है।

भवदीय,
29/12/18
(भगवान स्वरूप)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रतियॉं मुद्रित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस एवं प्रभारी, कम्प्यूटर, गृह नियंत्रण कक्ष को इस आशय से प्रेषित की उक्त ज्येष्ठता सूची को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।